कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से प्राध्यापक विषय अर्थशास्त्र (स्कूल शिक्षा) भर्ती परीक्षा 2015 में जारी आरक्षित सूची से चयनोपरान्त आयोग के पत्र दिनांक 02.09.2019 द्वारा नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने पर श्री प्रेमराज मेघवाल पुत्र श्री प्रहलाद राम को इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/सी–5/नियुक्ति–अर्थशास्त्र/पीएसी 15/18–19/1–3 दिनांक 16.9.2019 के तहत क्रम संख्या 03 पर प्रेमराज मेघवाल मेरिट नम्बर R-65 वर्ग एससी. जन्म दिनांक 20.11.1989 को राउमावि. अडेल सिंधरी (08170505901) गुडामालानी बाडमेर में प्राध्यापक अर्थशास्त्र (स्कूल शिक्षा) के पद पर 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुवित प्रदान कर दिनांक 25.09.2019 तक कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त आदेश की पालना में श्री प्रेमराज द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं कर कार्यग्रहण अवधि विस्तार हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अभ्यर्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/कार्यग्रहण अवधि विस्तार/2018–19/184 दिनांक 21.10.2019 द्वारा उक्त कार्मिक को कार्यग्रहण का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए कार्यगहण की अंतिम दिनांक 01.11.2019 तक बढाई जाकर निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने की दशा में नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

उक्त आदेश की पालना नहीं कर अभ्यर्थी द्वारा बीमारी/आवश्यक कार्य का हवाला देकर कार्यग्रहण अनुमति हेतु पुनः प्रार्थना पत्र प्ररतुत किया। चूंकि अभ्यर्थी ने अंतिम कार्यग्रहण दिनांक तक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर कार्यग्रहण अवधि विस्तार आदेशों की अवहेलना की। अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश जारी हुए एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया एवं वर्तमान प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) भर्ती परीक्षा 2018 प्रकियाधीन है।

अतः कार्मिक द्वारा वर्तमान पद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं कार्यग्रहण अवधि विस्तार के आदेशों की अवहेलना कर कार्यग्रहण नहीं करने पर इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) विषय अर्थशास्त्र में नियुक्ति निरस्त करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/नियुक्ति–अर्थशास्त्र/पीएसी 15/573 दिनांकः– 06/11/2020

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर राजस्थान।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, को सूचनार्थ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
6. संबंधित प्राधानाचार्य/अभ्यर्थी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर